पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

अपील/3877-I-15

अपील प्रकरण कमाक /2015 जिला जवलपुर

रमेश मरकाम पुत्र श्री भुलवा मरकाम (गोड) निवासी म.न. 88 चरगवां तहसील जिला मण्डला हॉल निवास –1113 मदनमहल जवलपुर म0प्र0 ।

.............अपीलार्थी

श्री सुनील सिंह पांडेय द्वारा आज दि. 1-12-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 1-12-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर ।
2. नरेश रंगा पिता श्री अशोक कुमार रंगा निवासी 1113 मदन महल रोड दशमेश द्वार मदनमहल जवलपुर म.प्र

..........प्रत्यार्थीगण

न्यायालय कलेक्टर , जिला जवलपुर द्वारा प्रकरण क 318/अ–21/2013–2014 मे पारित आदेश दिनांक 02.11.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता की धारा 44 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एंव विधि के उपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाथी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम ऐठाखेडा प0ह0नं028(ऐठाखेडा) रा0नि0मं0 जवलपुर –2 तहसील व जिला जवलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 171,174/2,174/3 रकवा क्रमशः 0,17, 0.40, 0.10 हेक्टे. कुल रकवा 0.67 हेक्टे. (1.65 एकड) आवेदक की स्वयं की निजी कृर्षि भूमि है जो उबड खावड पथरीली है जिससे उसमे फसल पैदा नही हो पाती ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को विकय कर वह अन्य उपजाउ अच्छी भूमि कय कर अपना भरण पोषण करना

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 3877–एक / 2015 जिला –जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
4.12.15	यह अपील कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 318/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 2.11.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने कलेक्टर जबलपुर को प्रार्थना पत्र देकर उसके स्वामित्व की ग्राम ऐठाखेड़ा स्थित भूमि खसरा कमांक 171, 174/2, 174/3 रकबा 0.17 है0 0.40 है0, 0.10 है0 कुल रकबा 0.67 है0 उबड़–खावड़ होने एवं अन–उपजाऊ होने से भूमि को विकय कर अपने पैतृक निवास के पुराने मकान की मरम्मत एवं नया निर्माण कार्य के उद्धेश्य से विकय की अनुमति मांगी। कलेक्टर जबलपुर ने तहसीलदार तहसील जबलपुर से जांच कराई, किंतु पेशी 2.11.15 को अपीलांट को अनुपस्थित मानकर प्रकरण निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3– अपील मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया ।	

4- अपीलांट के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अपीलांट ने उसके निजी स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 171, 174/2, 174/3 रकबा 0.17 है0 0.40 है0, 0.10 है0 कुल रकबा 0.67 है0 के विक्रय की अनुमति इस आधार पर मांगी है कि उसके पास विक्रय की जाने वाली भूमि के अतिरिक्त अन्य 8.944 है0 भूमि है जिसके कारण विक्रय की जाने वाली भूमि के विक्रय उपरांत वह भूमिहीन नहीं होगा एवं भूमि विक्रय से प्राप्त धन से अपने पैतृक निवास के पुराने मकान की मरम्मत एव नया निर्माण कार्य करने हेतु चाहता है। तहसीलदार जबलपुर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन क्रमांक 21/अ-21/13-14 दिनांक 10.7.14 के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अपीलांट के पास ग्राम ऐठाखेड़ा में उक्त भूमि के विक्रय के पश्चात 8.944 है0 भूमि शेष रहती है अर्थात वह भूमिहीन नहीं होगा। साथ ही विक्रय का प्रयोजन भी सद्भावना पर आधारित है क्यों कि वह विक्रीत भूमि से प्राप्त धन से अपने पैतृक मकान की मरम्मत एवं नवीन निर्माण कार्य कराना चाहता है जिसके कारण विक्रय अनुमति दिये जाने में बैधानिक अड़चन नजर नहीं आती है। वैसे भी अपीलांट द्वारा विक्रय की जा रही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है किन्तु अपीलांट अनुसूचित जनजाति का होने से उसके द्वारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विक्रय

प्रकरण कमांक 3877–एक / 2015 अपील जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.

की अनुमति मांगी गई है, एंव तहसीलदार जबलपुर व्दारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन तथा प्रकरण की परिस्थितियों अनुसार भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के फलस्वरूप अपीलांट को निजी स्वामित्व की ग्राम ऐठाखेड़ा पटवारी हलका नंबर 28 स्थित भूमि सर्वे कमांक कमांक 171, 174/2 174/3 रकबा 0.17 हैक्टर, 0.40 हैक्टर, 0.10 हैक्टर कुल रकबा 0.67 हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015–16 की गाईड लायन के मान से भूमि का मूल्य देने तैयार हो।
2. विक्रय पत्र प्रस्तुत करने पर विक्रय धन विकेता व्दारा अपीलांट के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय पत्र पंजीयन करेंगे।
3. भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन इस आदेश दिनांक से तीन माह की समयावधि में निष्पादित करना अनिवार्य होगा।
4. मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 में दिनांक 21 अगस्त 2015 को किये गये सॅशोधन अनुसार शासन मद में प्रचलित गाईड लायन के मान से निर्धारित राशि जमा करने के उपरांत ही विक्रय पत्र संपादित किया जावे।

सदस्य